

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या -101/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00206

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

--प्रार्थी.

वनाम

कौशल्या बाई पत्नि बद्रीलाल वैरागी निवासी रीछडिया तहसील
रामगंजमण्डी जिला कोटा

--अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम
14(4) के अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

1 पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 09/09/2024

- 1 प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी अप्रार्थीया को ग्राम रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1385 रकबा 0.21 हे0, 1392 रकबा 0.27 हे0 किता-2 रकबा 0.48 हे0 भूमि दिनांक 27.01.2011 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
- 2 प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थीया बावजूद अनुपस्थित रहने से पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
- 3 पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थीया को ग्राम रीछडिया तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1385 रकबा 0.21 हे0, 1392 रकबा 0.27 हे0 किता-2 रकबा 0.48 हे0 भूमि दिनांक 27.01.2011 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीया बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीया का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः प्रार्थी तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर

कोटा

- 4 हमने पेशोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीया को ग्राम रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 1385 रकबा 0.21 हे०, 1392 रकबा 0.27 हे० किता-2 रकबा 0.48 हे० भूमि दिनांक 27.01.2011 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थीया का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की अवहेलना की गई है । अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाते हैं ।
- 5 परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 1385 रकबा 0.21 हे०, 1392 रकबा 0.27 हे० किता-2 रकबा 0.48 हे० भूमि आवंटि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं पाया जाने से अप्रार्थी के हक में दिनांक 27.01.2011 को किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
- 6 निर्णय आज दिनांक 09.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलेक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा